

2


OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION, BHILAI

N.I.T.


कार्य का नाम:- शिवनाथ इंटकवेल के साइफन का सफाई कार्य (वार्षिक) ।

S.No.	Name of work	unit	Qty.	Rate	Amount
1	Siphon Cleaning Work at Shivnath intake well including all safety item, material required labours.	Per cleaning	150		

Note: Rates must be given including of all taxes.


Executive Engineer (W/W)
Municipal Corporation Bhilai


Assistant Engineer
Municipal Corporation Bhilai


Sub Engineer
Municipal Corporation Bhilai

कार्यालय, नगर पालिक निगम भिलाई

(जलप्रदाय विभाग)

कार्य का नाम— शिवनाथ इंटकवेल में साइफन का सफाई कार्य (वार्षिक)

नियम व शर्तें

1. निगम की निविदाओं से बंचित ठेकेदार/एजेन्सी की निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
2. निविदाकार समस्त कर सहित निविदा दर प्रस्तुत करेंगे। प्रस्तुत निविदा दर से अतिरिक्त किसी भी राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा न ही निविदाकार अन्य किसी राशि के भुगतान की मांग कर सकेगा।
3. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
4. उक्त कार्य अत्यन्त जोखिम भरा है, अतः अनुभवी गोताखोर को कार्य में रखा जाना आवश्यक होगा।
5. नदी में साइफन के चोक होने के स्थिति में सूचना के 2 घंटे के अंदर साइफन सफाई करना आवश्यक होगा।
6. साफ सफाई करने में लगने वाले गोताखोर की सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदाकार की होगी तथा गोताखोरों को समस्त आवश्यक सुरक्षा उपकरण एवं सहायता प्रदान करने का दायित्व अनिवार्यतः एजेन्सी को करना होगा साथ ही कार्य के दौरान जन धन की हानि होने पर क्षतिपूर्ति एजेन्सी की जवाबदारी होगी।
7. दुर्घटना की स्थिति में सम्पूर्ण नुकसान की भरपाई एवं कानूनी कार्यवाही के लिये पूरी तरह निविदाकार एजेन्सी उत्तरदायी होगी।
8. साइफन की सफाई ठीक तरीके से न किये जाने की स्थिति में पर्याप्त मात्रा में पानी well में उपलब्ध नहीं हो पाता ऐसी स्थिति में निगम द्वारा तत्काल अपने स्वयं के एवं अन्य माध्यमों से साइफन की सफाई कराई जायेगी तथा इसमें होने वाला व्यय की कटौती निविदाकार के देयको से समस्त आवश्यक कार्यवाही भी सुनिश्चित की जावेगी।





PTO

//2//

9. किररी भी स्थिति में साइफन सफाई निविदाकार एजेंसी को सूचना उपरांत 02 घंटे के भीतर नहीं किया जाता तो ऐसा माना जायेगा की एजेंसी द्वारा कार्य में लापरवाही की जा रही है। अतः एजेंसी पर समस्त आवश्यक कार्यवाही की जावेगी साथ ही निगम द्वारा स्वयं के संसाधन से साइफन सफाई की जायेगी और निविदाकारों की देयक से राशि काटी जावेगी।
10. विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

नियम शर्तों का उल्लंघन की स्थिति में पी.डब्ल्यू.डी. मेन्युवल एवं निविदा नियम शर्तों अनुसार कार्यवाही की जावेगी।


कार्यपालन अभियंता
जलकार्य
नगर पालिक निगम
भिलाई


सहायक अभियंता
जलकार्य
नगर पालिक निगम
भिलाई

उप अभियंता
जलकार्य
नगर पालिक निगम
भिलाई